उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालयों (सी.पी.ई.)एवं उत्कृष्टता युक्त महाविद्यालयों (सी.ई.) के लिए बारहवीं योजना अवधि (2012–2017) के लिए दिशा–निर्देश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुरशाह जफर मार्ग

नई दिल्ली–110 002

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय (सी.पी.ई)/उत्कृष्टता युक्त महाविद्यालयों (सी.ई) योजना के लिये 12 वीं योजना के दिशा निर्देश

1. प्रस्तावना:

नवीं योजना योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय" (यूपीई)नाम की एक योजना प्रस्तावित की ताकि ऐसे चयनित विश्वविद्यालय अपने विषय क्षेत्रों में विश्वस्तरीय मानकों तक पहुॅच सकें तथा इस योजना के अन्तर्गत उन्हें अतिरिक्त निधियन उपलब्ध कराई गई। नवीं, दसवीं एवं ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान ऐसे विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी उपलब्धियों के माध्यम से अध्यापन एवं शोध कार्य में अधिक सुधार लाने के लिये यह योजना सहायक हुई।

ऐसा अनुभव किया गया कि विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त देश में ऐसे कई महाविद्यालय थे जहॉ पर अध्यापन एवं शोध कार्य अत्यधिक गुणवत्ता युक्त थे। इन महाविद्यालयों ने नवोन्मेषी रूप से मानव सुलभ एवं भौतिक संसाधनों को कार्यरूप देकर अध्यापन एवं शोध कार्यों में श्रेष्ठ परिणाम उपलब्ध किये थे। इनमें से कई महाविद्यालयों में अकादमिक उत्कृष्टता की संभाव्यता विद्यमान थी। ऐसे महाविद्यालयों के प्रति विशेष ध्यान की आवश्यकता को देखते हुए यूजीसी ने विश्वविद्यालयों की योजना के समरूप महाविद्यालयों के लिये दसवीं योजना अवधि के दौरान "उत्कृष्टता की संभाव्यता वाले महाविद्यालय" नाम से एक योजना प्रस्तावित की। इस योजना द्वारा ऐसे महाविद्यालय चिन्हित किये जाने थे जिन्होंने अध्यापन, शोध एवं विस्तारण गतिविधियों में उच्च स्तरों की उपलब्धि की थी तथा जिनमें उत्कृष्टता का विश्वास था। इस सीपीई योजना के अन्तर्गत चयनित महाविद्यालय को उसकी अवसंरचना में सुधार करने एवं उसे सशक्त बनाने के लिये अतिरिक्त निधियन उपलब्ध किये जाने थे ताकि वह और भी अधिक उच्च अकादमिक मानक प्राप्त कर सके। यह योजना ग्यारहवीं योजना में भी जारी थी। इसके साथ ही, आयोग ने निर्णय लिया है कि इस योजना को XII वीं योजना में भी जारी रखा जाए तथा इस योजना के दूसरे एवं तीसरे चरण के दौरान इसे उत्कृष्टता युक्त महाविद्यालय (सीई) के अतिरिक्त घटक के साथ जारी रखा जाए।

2. उत्कृष्टता

किसी भी अध्येता द्वारा उसके अध्ययन क्षेत्र में अपवाद रूप से अथवा श्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त करने की स्थिति को उत्कृष्टता कहा जाता है। किसी भी अकादमिक संस्थान की उत्कृष्टता में, अध्यापन, शोध एवं संबद्ध अकादमिक अनुसरणों में निष्पादन के सर्वोत्कृष्ट स्तर तथा अध्ययन

एवं शोध के लिये प्रस्तुत किये गये क्षेत्रों में अद्वितीय स्थिति संलिप्त होती है। अनुसरण की मात्रा एवं उसकी गुणवत्ता में निरन्तर सुधार होने की यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चरणबद्ध रूप से उत्कृष्टता उपलब्ध होती है। समर्पित अकादमिक समुदाय एवं अवसंरचना संबंधी पर्याप्त सुविधाएँ, ऐसी उत्कृष्टता के अनिवार्य घटक हैं। यूजीसी का यह अनुभव था कि उस संभाव्यता को अभिलक्षित एवं पोषित करने की आवश्यकता है ताकि उनकी सम्पूर्ण क्षमता को प्राप्त किया जा सके।

3. योजना के लक्ष्य

इस योजना के अन्तर्गत चयनित महाविद्यालयों द्वारा आशान्वित रूप से निम्न लक्ष्यों को उपलब्ध किया जाना है :–

3.1 अध्यापन शोध एवं आउटरीच या पाठ्यक्रमों में उत्कृष्टता लाने के लिये तथा उन्हें वैश्विक मानकों के समतुल्य बनाने के लिये अकादमिक एवं भौतिक अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाए।

3.2 वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य, एक लचीली साख आधारित प्रमापीय प्रणाली की सहायता से, स्नातक पूर्व एवं स्नात्कोत्तर स्तरों पर प्रशिक्षण एवं अध्यापन की गुणवत्ता में संवर्धन करना।

3.3 देश की सामान्य तथा क्षेत्र की समाजी–आर्थिक विशेष आवश्यकताओं के प्रति सापेक्ष अकादमिक पाठ्यक्रमों को प्रोन्नत करना।

3.4 स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रमों को अन्तरापृष्ठीय बनाकर महाविद्यालयों में स्नातक पूर्व शिक्षा में सुधार करना

3.5 देश में स्थित विश्वविद्यालयी विभागों, शोध केन्द्रों एवं प्रयोगशालाओं में परस्पर नेटवर्किंग को प्रोन्नत करना

3.6 कुशलताओं के अनुकूल पाठ्यक्रमों को प्रोन्न्त करना

4. लक्ष्यपरक वर्ग

यह योजना, महाविद्यालयों को लक्षित करती है –जिनमें ऐसे स्व–वित्त पोषित महाविद्यालय सम्मिलित हैं जिनमें अध्यापन, शोध एवं आउटरीच गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करने की सभाव्यता है। तथापि, स्व–वित्तपोषित महाविद्यालयों को इस योजना के अन्तर्गत कोई सहायता नहीं दी जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत जितने महाविद्यालयों को सहायता प्रदान की जायेगी, वे देश में स्थित, धारा 2(एफ) एवं धारा 12(बी) के अन्तर्गत आवृत कुल महाविद्यालयों का उच्चतम रूप से 6%होगा। भौगोलिक क्षेत्र, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों, पिछड़े इलाकों, महिला एवं अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक छात्रों की प्रधानता वाले महाविद्यालयों को पर्याप्त महत्व दिया जायेगा। ऐसे महाविद्यालय जिन्होंने इस योजना के प्रथम चरण में अद्वितीय उपलब्धियॉ प्राप्त की हैं उन्हें दूसरे/तीसरे चरण के दौरान उत्कृष्टता वाले महाविद्यालय (सीई)स्तर के

लिये विचाराधीन रखा जा सकता है, तथापि इस श्रेणी के अन्तर्गत अर्थात् उत्कृष्टता वाले महाविद्यालय के अन्तर्गत किसी भी निर्धारित समय में कुल संख्या 100 से अधिक नहीं होगी।

5. पात्रता/पूर्वापेक्षित अनिवार्यताएँ

निम्नवत मानदण्डों को पूरा करने वाले महाविद्यालय इस योजना के अन्तर्गत विचाराधीन होंगेः–

5.1 महाविद्यालय न्यूनतम 10 वर्षों से संचालित किया जा रहा हो

5.2 महाविद्यालय यूजीसी अधिनियम की धारा 2(एफ) एवं धारा 12(बी) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त होना चाहिये।

5.3 सीपीई स्तर के प्रथम चरण में आवेदन करने के समय ऐसा महाविद्यालय राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा प्रत्यायित हो तथा न्यूनतम 'बी' श्रेणी का प्राप्तकर्ता होना चाहिये।

5.4 सीपीई स्तर के लिये आवेदन करने के समय ऐसे प्रत्येक महाविद्यालय को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ेगेः

क) अनुलग्नक–I में निर्धारित प्रारुप में, सहायता के लिये आवेदनः

ख) राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद द्वारा दिये गए प्रमाण पत्र की एक प्रति तथा इस परिषद द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट का जो आश्वासन दिया गया है– वह भेजेंः

ग) ऐसे कोई अन्य आंकड़े जिन्हें उपलब्ध कराने को महाविद्यालय उपयुक्त मानता है तथा जिनके द्वारा यूजीसी को इस विषय में निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।

5.5 प्रत्यायित महाविद्यालयों में से स्वशासी महाविद्यालयों को अधिमानता दी जायगी।

5.6 यदि महाविद्यालय एक संयुक्त महाविद्यालय है इसे 10+2 प्रणाली को महाविद्यालय से अलग कर देना चाहिये। विशेषज्ञ समिति के साथ अन्तरापृष्ठीय बैठक से पूर्व महाविद्यालय को यह लिखित पुष्टि देनी होगी कि यदि महाविद्यालय को सीपीई स्तर उपलब्ध कराया जाता है तो यह पृथक्करण अगले अकादमिक सत्र से प्रभावी किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत अनुदान की प्रथम किस्त केवल इसी पृथक्करण के प्रभावी किये जाने के पश्चात ही जारी की जाएगी।

5.7 ऐसा वांछनीय होगा कि सीपीई/सीई के अन्तर्गत चयनित महाविद्यालय के प्रध्यापकों को इस योजना की क्रियान्वयन अवधि के दौरान निरन्तर बनी रहे।

5.8 ऐसे महाविद्यालयों को अधिमानता दी जायगी जहॉ अन्य सभी बातों में समानता के साथ साथ वहॉ के प्राचार्य एक नियमित रूप से नियुक्त व्यक्ति हैं तथा उनकी सेवा अवधि काफी लम्बे समय तक है।

5.9 इस योजना के अन्तर्गत कृषि, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, उपचर्या एवं फार्मेसी महाविद्यालय विचार के पात्र नहीं है।

6. महाविद्यालयों के चयन के लिये अतिरिक्त मानदण्डः

इस योजना के अन्तर्गत महाविद्यालयों के अन्तिम चयन के समय, पात्रता संबंधी उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त, निम्नांकित मानदण्ड भी ध्यान मे रखे जाने चाहियेः

क) दाखिलों में पारदर्शिता

ख) धारित अकादमिक सुधार

ग) पाठ्यचर्या में नवोन्मेषी प्रस्ताव

घ) प्रयोगशालाओं को सुगठित करना

ड़) महाविद्यालय के पुस्तकालय को अधिक श्रेष्ठ बनाना

च) महाविद्यालय की अकादमिक एवं प्रशासनिक गतिविधयों में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) एवं प्रचलित प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाना चाहिये।

छ) छात्रों द्वारा निष्पादन

ज) छात्रों का समर्थन एवं अभिशासन

झ) छात्रों द्वारा खेलकूद एवं अन्य सह पाठ्यचर्या एवंपाठ्येतर गतिविधियों में भागीदारी

अंः) अनुशिक्षण प्रणाली में सुधार

त) परीक्षा प्रणाली में सुधार

थ) शोध कार्य में योगदान

द) निर्धन छात्रों को सहायता उपलब्ध की जाय

ध) सामुदायिक गतिविधियो में भागीदारी

न) पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होने का साक्ष्य

प) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों एवं निपुणता अनुकूल पाठ्यक्रमों को प्रस्तावित करना

फ) यदि सीपीई/सीई स्तर प्रदान कर दिया जाता है तो इसकी कालावधि के अन्त में आशान्वित परिणाम के विषय में

ब) अन्य कोई भी सापेक्ष अतिरिक्त सूचना

7. योजना की अवधि

किसी भी महाविद्यालय को सीपीई/सीई का स्तर सर्वाधिक तीन चरणों तक प्रदान किया जायेगा। इस योजना में एक चरण की अवधि 5 वर्ष की होगी जिसे अधिकतम एक वर्ष तक के लिये विस्तारित किया जा सकता है– परन्तु यह बिना किसी अतिरिक्त सहायता के होगा।

8. योजना के अन्तर्गत आवेदन आमन्त्रित किया जाना

आवेदन, महाविद्यालय के प्राचार्यों से उनके पैतृक विश्वविद्यालयों के माध्यम से, यूजीसी वेबसाइट पर की गई घोषणा द्वारा तथा यूजीसी के समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित घोषणाओं द्वारा आमंन्त्रित किये जाएँगे।

9. समितियों का गठन

9.1 सीपीई/सीई पर स्थायी समिति

एक स्थायी समिति होगी जो कि विचार करके नीति, प्रणालियों एवं योजना के विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार विमर्श के पश्चात उनका सृजन करेगी। इसमें 9 सदस्य होंगे– जैसा निम्नवत दर्शाया गया है– तथा वे अध्यक्ष, यूजीसी द्वारा नामित होंगेः–

i) आयोग के एक सदस्य – समिति के अध्यक्ष

ii) दो कुलपति – सदस्य

ii) विभिन्न विषयों के पॉच विशेषज्ञ – सदस्य

iv) यूजीसी के एक अधिकारी – समन्वयन कर्ता

आवश्यकतानुसार उपरोक्त समिति को और अधिक विस्तृत आधार युक्त बनाया जा सकता है। सर्वप्रथम, स्थायी सिमिति सभी प्रस्तावों की जॉच करेगी तथा एक राज्य वार सूची ऐसे आवेदक महाविद्यालयों की तैयार करेगी जो उनकी शीर्षता आधारित एवं उनके उन प्राप्तांकों पर आधारित होगी जो कि स्थायी समिति द्वारा निर्मित मानदण्डों के अनुसार होगा। विशेषज्ञ समितियों के गठन के लिये, यूजीसी अध्यक्ष को प्राप्तांकों के अनुसार सूची प्रस्तुत की जाएगी।

9.2 विशेष समिति

चयनित सूची में सम्मिलित महाविद्यालयों को यूजीसी में विशेषज्ञ समिति केसाथ अन्तरापृष्ठीय बैठक में विचार विमर्श हेतु आमन्त्रित किया जाएगा। समिति उस महाविद्यालय के प्रस्ताव का गहन अध्ययन करेगी तथा उसके प्राचार्य एवं उसके प्रतिनिधियों केसाथ विस्तृत चर्चा करेगी। अन्य बातों के अतिरिक्त, समिति महाविद्यालय में नियुक्त स्टाफ सदस्यों की जॉच करेगी तथा इसके सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करनेवाले विभागों को चिन्हित करेगी। विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा स्थायी समिति के समक्ष रखी जाएगी जो अपनी रिपोर्ट अनुमोदनार्थ आयोग के सामने प्रस्तुत करेगी।

सीपीई/सीई स्तर के 5 वर्ष की अवधि के अन्त में महाविद्यालय को इस योजना के अन्तर्गत उसकी प्रगति की समीक्षा हेतु आमन्त्रित किया जाएगा। विशेषज्ञ समिति, उसके पिछले चरण के दौरान की गई प्रगति/निष्पादन की समीक्षा के अतिरिक्त, इस सीपीई/सीई की योजना के अन्तर्गत, उस महाविद्यालय द्वारा इसके विस्तारण के प्रस्ताव पर भी विचार करेगी।

9.3 विशेषज्ञ समिति

सीपीई/सीई के अन्तर्गत प्रत्येक महाविद्यालय में इस योजना के लक्ष्यों को देखते हुये, उसे इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये एक विशेषज्ञ समिति होगी। इस समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी। इस समिति का गठन निम्नवत होगा :

1. महाविद्यालय के प्राचार्य अध्यक्ष

2. दो विशेषज्ञ(अध्यक्ष, यूजीसी द्वारा नामित) सदस्य

3. महाविद्वालय के सीपीई/सीई कार्यक्रम के समन्वयकर्ता सदस्य–सचिव

10. यूजीसी द्वारा अनुमोदन की प्रविधि

चरण:10.1 सीपीई/सीई स्तर प्राप्त करने का इच्छुक महाविद्याालय अनुलग्नक । में निर्धारित प्रारुप को विधिवित भर कर इसे सम्बद्ध विश्वविद्यालय को भेज दें। महाविद्यालय अपनी प्रस्तावित कार्य योजना वं बजट को निर्धारित प्रारुप में (अनुलग्नक ।।) के अनुसार प्रस्तुत करें।

चरण:10.2 विश्वविद्यालय, कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगा जिसमें अन्य विशेषज्ञों के अतिरिक्त तीन विशेषज्ञ, विश्वविद्यालय से बाहर के होंगे, जो प्रस्तावों का परीक्षण करके उन पर अपनी अनुशंसाएँ प्रदान करेंगी– जो अनुशंसाएँ गुणवत्ता/योग्यता आधारित होगी तथा जिनका आधार ऐसे चयनित प्राचल होंगे जिन्हें यूजीसी द्वारा प्राप्तांकों को दृष्टिगत करके उपलब्ध कराया गया है।

चरण:10.3 गुणवत्ता के आधार पर विश्वविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों में से अधिकतम 08 प्रस्ताव अनुशंसित करेगा तथा इसके साथ ही उन महाविद्यालयों द्वारा प्राप्त कुल प्राप्तांकों को इन प्रस्तावों सहित, यूजीसी के विचारार्थ आगे भेजेगा।

चरण:10.4 स्थायी समिति आवेदन कर्ता महाविद्यालयों की प्राप्तांकों के आधार पर एक श्रेणीवार सूची तैयार करेगी तथा इस समिति के साथ अन्तरापृष्ठीय बैठक के लिये उन्हें चिन्हित करेगी।

चरण:10.5 विशेषज्ञ समिति, महाविद्यालय के प्रस्ताव पर परीक्षण करेगी तथा उसके प्राचार्य एवं उसके प्रतिनिधियों के साथ, उस महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध अकादमिक एवं भौतिक अवसंरचना, उसकी शोध संभाव्यता, उसकी आउटरीच गतिविधियों एवं उनका जो प्रभाव वह महाविद्यालय उस क्षेत्र में प्रसारित कर रहा है– इन सब विषयों पर चर्चा करेगी। इस महाविद्यालय के सशक्त एवं दुर्बल पक्षों पर आधारित करके यह समिति, सीपीई/सीई स्तर प्रदान करने के लिये अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, कि इस महाविद्यालय को यह स्तर प्रदान किया जाना है कि नहीं। यदि समिति ऐसा पाती है कि यह महाविद्यालय सीपीई/सीई स्तर के उपयुक्त है तो यह समिति इस महाविद्यालय की कार्य योजना एवं बजट को स्पष्ट करेगी– जैसा कि अनुलग्नक–III में निर्धारित प्रारुप में दर्शाया गया है–उसे अन्तिम रुप देगी। समिति विस्तार रूप से उन लक्ष्यों को स्पष्ट करेगी जिन्हें महाविद्यालय आशान्वित रूप से अपने सीपीई/सीई की अवधि के दौरान उपलब्ध करेगा– जिसमें

प्राथमिकताओं का क्रम एवं इन लक्ष्यों की प्राप्ति संबंधी आशान्वित नियत तिथियॉ दी गई होंगी। इस बजट में विभिन्न मदों पर किया जाने वाला व्यय का विस्तार होगा एवं यह स्पष्ट किया जायेगा कि यूजीसी द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता को उपयोग किया जाएगा। विशेष रूप से, ऐसे सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाले विभाग, अर्थात वेविभाग जो कि अत्यन्त प्रभावी रूप से सक्रिय हैं तथा जिन्होंने अद्वितीय अकादमिक निष्पादन प्रदर्शित किया है तथा जिन विभागों में शोध संबंधी उत्कृष्ट उच्च गुणवत्ता युक्त निष्पादन किए गए हैं, उन्हें और आगे अद्यतन बनाने एवं अपग्रेड करने केलिये अधिमानता प्रदान की जाएगी। इनमें प्रत्येक मद के लिये किये गए आवंटन का सुविस्तृत रूप से औचित्य दिया जाएगा।

इस विशेष समिति की अनुशंसायें, स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ रखी जायेंगी।

चरणः10.6 विशेष समिति की अनुशंसाओं पर आधारित करके, स्थायी समिति अन्तिम चयन करेगी तथा इसे अनुमोदनार्थ आयेग के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

11. वित्तीय सहायता का स्वरुप

11.1 बारहवीं योजना अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक महाविद्यालय को रु0150.00 लाख तक का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। विशेषज्ञ समिति, आवर्ती एवं अनावर्ती श्रेणियों के अन्तर्गत मद–वार अनुदान की राशि को विशिष्ट रूप से स्पष्ट करेगी।

11.2 जो महाविद्यालय सीपीई/सीई स्तर के द्वितीय चरण के लिये चयनित किये गये हैं–वे भी अधिकतम रु0 150.00 लाख अनुदान को प्राप्त करने के पात्र होंगे।

11.3 जो महाविद्यालय सीपीई/सीई स्तर के तृतीय चरण के लिये चयनित किये गए हैं, वे रु0 200.00 लाख तक का अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे।

11.4 इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता, विभागों को अपग्रेड एवं अद्यतन करके, उत्कृष्टता प्राप्ति के लिये उनके अधिक विकास हेतु है तथा भवन निर्माण के लिये इसका उपयोग नहीं किया जाएगा।

11.5 ऐसे विभाग जिन्होंने उत्कृष्टता के अनुसरण के लिये प्रत्यक्षतः अपनी संभाव्यता को सिद्ध करदिया है, ऐसे विभागों द्वारा उनके विकास के लिये इन अनुदानों में से 50 प्रतिशत व्यय किया जा सकेगा। शेष 50 प्रतिशत राशि को अन्य विभागों के सामान्य विकास एवं महाविद्यालय की सामान्य सुविधाओं केलिये व्यय किया जा सकता है।

11.6 वित्तीय सहायता केवल सहायता प्राप्त विभागों के लिये ही व्यय की जाएगी।

12. यूजीसी द्वारा अनुदान जारी करना

यूजीसी प्रारंभिक रूप से स्वयं ही कुल आवंटित राशि का शत प्रतिशत गैर–आवर्ती अनुदान तथा 20 प्रतिशत आवर्ती अनुदान जारी करेगा। तत्पश्चात आवर्ती अनुदान की शेष 20 प्रतिशत

राशि, आवर्ती अनुदान की पिछली किस्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही वार्षिक आधार पर जारी की जाएगी। तथापि, गैर–आवर्ती अनुदान का उपयोग अनुदान जारी किए जाने के 18 माह के भीतर किया जाना चाहिए।

यूजीसी द्वारा अनुदान का अंतिम आवंटन किए जाने के पश्चात, समस्त आवंटित राशि को 5 प्रतिशत तक के पुर्न–विनियोजन की अनुमति है जिसका उपयुक्त औचित्य महाविद्यालय स्तर पर, यूजीसी को सूचित करके, प्रस्तुत किया जाए। किसी भी स्थिति में कुल आवंटित राशि का 5 प्रतिशत से अधिक का पुर्न–विनियोजन नहीं किया जाएगा।

13. योजना की प्रगति का सर्वेक्षण करने की विधि

सीपीई/सीई को प्रत्येक महाविद्यालय वार्षिक रूप से निर्धारित प्रारूप में (संलग्नक–IV) एक प्रगति रिपोर्ट भेजेगा। अन्तिम समीक्षा के समय, विशेषज्ञ समिति के समक्ष, महाविद्यालय द्वारा भेजी गई प्रगति रिपोर्ट रखी जाएगी।

14. सूचना का प्रकटीकरण

जैसे ही कोई महाविद्यालय, सीपीई/सीई के लिये कोई प्रस्ताव यूजीसी को भेजता है, इसके साथ ही वह महाविद्यालय उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है तथा यूजीसी को सूचित करता है। यूजीसी भी अपनी वेबसाइट पर विशेषज्ञ समिति की वह रिपोर्ट दर्शाता है जो कि इस योजना के अन्तर्गत चयनित महाविद्यालयों के विषय में है।

15. स्तर का विलोपन/निवर्तन

15.1 वार्षिक प्रगति रिपोर्ट के आधार पर यदि ऐसा पाया जाता है कि महाविद्यालय उचित निष्पादन नहीं कर रहा है तो यूजीसी एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त कर सकती है जो उस रिपोर्ट के आधार पर तत्काल कॉलेज का निरीक्षण करेगी। आयोग इस आधार पर महाविद्यालय से सीपीई/सीई स्तर को निवर्तित करने पर विचार कर सकता है। तथापि महाविद्यालय का सीसीई/सीई स्तर निवर्तित करने से पूर्व छः माह का नोटिस दिया जाएगा।

15.2 यदि किसी भी अवसर पर यूजीसी के संज्ञान में यह आता है कि महाविद्यालय ने निधियन का दुरुपयोग किया है तो तत्काल जाँच पड़ताल/परीक्षण के लिये एक समिति गठित करने पर विचार किया जा सकता है तथा उसकी रिपोर्ट के आधार पर आयोग सीपीई/सीई स्तर को उस महाविद्यालय से वापिस लेने पर विचार कर सकता है।

15.3 सीपीपी/सीई स्तर को रद्द कर दिया जाएगा यदि महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना एवं आंकड़े, जिनके आधार पर उस स्तर को मांगा गया है, वह बाद में असत्य पाई गई हो। ऐसी स्थिति में, या तो महाविद्यालय को वह समस्त वित्तीय सहायता दण्डात्मक ब्याज सहित लौटानी होगी जो इस योजना के लिये दी गई थी अथवा इस राशि का समायोजन,

महाविद्यालय को अन्य योजनाओं के अन्तर्गत देय राशियों के समक्ष किया जाएगा।

16. योजना अभिशासन की अन्य शर्तें

16.1 महाविद्यालय को दिया गया सीपीई का स्तर उन दिशानिर्देशों के अनुसार होगा जो स्तर प्रदान करने के समय पर लागू थे।

16.1 सीपीई/सीई योजना पांच वर्षों की अवधि की होगी तथा इसे योजना अवधि के साथ संबद्ध नहीं किया जा सकता।

16.2 ऐसे महाविद्यालय जिन्होंने सीपीई योजना के अन्तर्गत सहायता के प्रथम चरण का लाभ उठाया है उन्हें सहायता के दूसरे चरण के लिये केवल उसी स्थिति में विचाराधीन रखा जाएगा यदि वे 'A' ग्रेड में राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा प्रत्यायित किये गये हैं। महाविद्यालयों का द्वितीय चरण के अन्तर्गत सीपीई के रूप चयन करना, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद द्वारा A ग्रेड देने के पश्चात तथा विशेषज्ञ समिति की अनुशंसाओं के पश्चात ही होगा।

16.3 केवल ऐसे महाविद्यालय जो A ग्रेड से प्रत्यायित है तथा जिनके 3.5 सी.जी.पी.ए. से अधिक अंक हैं– वे ही इस योजना के अन्तर्गत उत्कृष्टता वाले महाविद्यालय (सीई) के रूप में विचाराधीन होंगे। द्वितीय/तृतीय चरण में उत्कृष्टता के महाविद्यालय के स्तर के लिये चयन, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद द्वारा प्रत्यायन एवं विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा पर निर्भर होगा।

अनुलग्नक–I

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली

''उत्कृष्टता की संभाव्यता/उकृष्टता युक्त महाविद्यालय योजना'' के अन्तर्गत बारहवीं योजना के दौरान सहायता के लिए प्रस्ताव

अनुलग्नक–I: सामान्य

क्र.सं.	रूपरेखा/प्राचल	विवरण
1.1	महाविद्यालय का नाम	
1.2	महाविद्यालय का पूरा पता (दूरभाष/फैक्स एवं ई–मेल आई डी सहित)	
1.3	महाविद्यालय के प्राचार्यका नाम (दूरभाष/फैक्स एवं ई–मेल आई डी	

	सहित)	
1.4	सम्बद्ध विश्वविद्यालय का नाम व पता (दूरभाष/फैक्स एवं ई–मेल आई डी सहित)	
1.5	महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष	
1.6	महाविद्यालय के लक्ष्य एवं उद्देश्य	
1.7	महाहवद्यालय के सर्वोत्तम निष्पादन करने वाले विभागों के नाम	

क्र.सं.	विवरण / विकल्प									
1.8	रूपरेखा / प्राचल प्रबन्धन का स्वरूप	शासकीय	विश्वविद्यालयी	निजी						
				अल्प संख्यक	गैर अल्प संख्यक	सहायता प्राप्त	गैर सहायता प्राप्त			
1.9	कुल तादाद o छात्र o प्राध्यापक	स्नातकपूर्व			स्नातकोत्तर			कुल		
		पु.	म.	कु	पु.	म.	कु	पु.	म.	कु
1.10	महाविद्यालय की स्थापना कितने वर्ष पूर्व हुई	<=10–25			>25–50			>50		
1.11	विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध कितने वर्ष पूर्व हुआ	<=10–25			>25–50			>50		
1.12	परिसर क्षेत्र (एकड़ों में)	<=5.00			>05–10			>10		
1.13	महाविद्यालय में अकादमिक पाठ्यक्रमों के स्तर	स्ना. पूर्व, स्नातकोत्तर एवं शोध		केवल स्नातकोत्तर एवं स्नातक पूर्व		स्नातकोत्तर मात्र		स्नातकपूर्व मात्र		
1.14	अकादमिक विभाग	कुल संख्या		कला संकाय में संख्या		विज्ञान संकाय में संख्या	वाणिज्य संकाय में संख्या	अन्य संकायों में संख्या		
1.15	प्राध्यापकों की संख्या	स्वीकृत कुल तादाद		वर्तमान कुल संख्या (क) नियमित (ख) तदर्थ / आंशिक		स्वीकृत तादाद के 0% प्रतिशत के रूप में वर्तमान कुल तादाद				
1.16	प्रस्तुत किए जा रहे डिप्लोमा / प्रमाणपत्र : ▪ छात्रों की संख्या ▪ महाविद्यालय में कुल संख्या का 0%	स्नातकोत्तर डिप्लोमा		डिप्लोमा		प्रमाणपत्र				
1.17	छात्रों की कुल संख्या	<=500		>500–1000		>10000				

क्र.सं.	रूपरेखा / प्राचल	विवरण / विकल्प		
1.18	छात्रों की श्रेणी	न्यूनतम 50% अजा–अजजा	न्यूनतम 50%अन्य पिछड़ा वर्ग	न्यूनतम 25% शा. वि.
1.19	स्नातक पूर्व छात्र–कुल संख्या के % के रूप में	<=50	<50–80	>80
1.20	स्नातकोत्तर छात्र–कुल संख्या के%के रूप में	<=50	<50–80	>80
1.21	एम.फिल. छात्र–कुल संख्या के %के रूप में	<=02	>02–05	>05
1.22	पी.एच.डी. छात्र–कुल संख्या के % के रूप में	<=.01	>.01–.02	>.02
1.23	XI योजना के दौरान (₹लाखों में) इनसे प्राप्त अनुदानः	राज्य सरकार	यूजीसी के अतिरिक्त केन्द्र सरकार से	यूजीसी
1.24	छात्र सुविधाः गत तीन वर्षों में व्यय की गई राशि (लाखों में):–	प्रयोगशालाएँ	केन्द्रीय पुस्तकालय	विभागीय पुस्तकालय
1.25	शिकायत निवारण प्रकोष्ठ गत तीन वर्षों में छात्रों के जिन मामलों का निपटान किया गया	<=20	>20–50	>50
1.26	मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रकोष्ठः गत तीन वर्षों में निपटान किए गए मामले	<=50	>50–75	>75
1.27	महाविद्यालय के प्रकार्यों के विभिन्न दृष्टिकोणों पर इन सब से प्रतिपुष्टि प्राप्त करने वाला तन्त्र	प्राध्यापक	छात्र	अभिभावक
1.28	महाविद्यालय के पास एक त्वरित / सक्रिय	माता–पिता प्राध्यापक सभा / संघ	भूतपूर्व छात्र संघ	गैर सकरकारी संस्थाओं के साथ संयोजन

खण्ड–2: रूपरेखा विवरण

क्र.सं.	रूपरेखा / प्राचल	विवरण / विकल्प			कार्यालय द्वारा प्रयोग हेतु
2.1	महाविद्यालयों का स्तर	गैर–स्वशासी	स्वशासी		
2.2	रा.प्रत्यायन परिषद द्वारा प्रत्यायन किए जाने की बाद की अवधि.... वर्ष	01–05	>05–10	>10	
2.3	रा. प्रत्यायन परिषद द्वारा प्रदत्त ग्रेड / सीजीपीए	बी 2.01से 3.00		ए 3.01 से 4. 00 तक	
2.4	महाविद्यालय की अकादमिक श्रेणी	पुरूष	सह–शिक्षा	महिला	
2.5	महाविद्यालय की अवस्थिति	शहरी	ग्रामीण	जनजातीय	
2.6	परीक्षा का ढाँचा	वार्षिक	सत्रीय	ख्याति साख आधारित	
2.7	कुल छात्रों की संख्या के समक्ष अन्य राज्यों के छात्रों की प्रतिशतता	01–05	>05–10	>10	
2.8	छात्रों की कुल संख्या के समक्ष अप्रवासी छात्रों की प्रतिशतता	01–05	>05–10	>10	
2.9	विदेश स्थित छात्र (अप्रवासी से अतिरिक्त) उनकी, कुल छात्रों की संख्या के समक्ष प्रतिशतता	01–03	>03–05	>50	
2.10	गत तीन वर्षों में प्रस्तावित नवीन पाठ्यक्रमों की संख्या डिग्री	01–03	>03–06	>06	
	स्नातकोत्तर डिप्लोमा	01–03	>03–06	>06	
	डिप्लोमा	01–05	>05–10	>10	
	प्रमाण पत्र	01–05	>05–10	>10	
2.11	गत तीन वर्षों में उपलब्ध कराए गए स्ववित्त पोषित डिग्री / डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की संख्या	01–05	>05–10	>10	

क्र.सं.	रूपरेखा / प्राचल	विवरण / विकल्प	कार्यालय

					द्वारा प्रयोग हेतु
2.12	छात्रों के परिमाण गत तीन वर्षों की औसतन प्रतिशतता स्ना. पूर्व	40–60	>60–80	>80	
	स्नातकोत्तर	50–70	>70–90	>90	
	स्नातकोत्तर (प्रथम श्रेणी)	10–20	>20–50	>50	
2.13	गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय परीक्षाओं में सफल छात्रों की संख्याः o यूजीसी / सी.एस.आई. आर. / नेट	01–05	06–10	>10	
	o गेट	01–05	06–10	>10	
2.14	गत तीन वर्षों में विभिन्न ऐजेन्सियों द्वारा शोध योजनाओं की लागत (रूपये लाख में)	05–10	>10–50	>50	
2.15	गत तीन वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ की गई सहभागिताएँ o ज्ञापन समझौते	01–02	>02–05	>05	
	o प्राध्यापकों का आदान–प्रदान	01–05	>05–10	>10	
	o विशेषाधिकार प्राप्तकर्ता	01–05	>05–10	>10	
2.16	प्राध्यापकों का मूल्यांकन इनके द्वारा किया जाता है	महाविद्यालय के भीतर विद्यमान समकक्षों का वर्ग	ब्राह्य व्यक्तियों	छात्रों द्वारा	
2.17	गत तीन वर्षों में की गई प्राध्यापकों की मान्यताः– अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संख्या	01–02	>02–04	>04	
	राष्ट्रीय स्तर पर संख्या	01–03	>03–06	>06	

क्र.सं.	रूपरेखा / प्राचल	विवरण / विकल्प	कार्यालय द्वारा

					प्रयोग हेतु
2.18	गत तीन वर्षों में गोष्ठियों/सम्मेलनों में प्रपत्र प्रस्तुत करने वाले प्राध्यापकों की संख्याः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर	01–03	>03–06	>06	
	राष्ट्रीय स्तर पर	01–05	>05–10	>10	
2.19	गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर महाविद्यालय द्वारा संचालित संगोष्ठियाँ/सम्मेलन	01–03	>03–06	>06	
2.20	शारीरिक शिक्षाः निम्न का प्रावधान किया गया। o व्यापक स्तर वाले खेल	01–03	03–06	>06	
	o लघु स्तर वाले खेल	01–03	03–06	>06	
	o अन्तरंग खेलों की संख्या	01–03	03–06	>06	
	o प्रत्यायित अनुशिक्षकों की संख्या	01–02	03–04	>04	
2.21	अन्य सुविधाएँ (उपलब्ध सुविधाओं पर गोला लगाएँ	कम्प्यूटर केन्द्र	इन्टनेट	बुक बैंक	
		छात्रा वास (पुरूष)	छात्रा वास (महिला)	मनोंरजन कक्ष छात्रों के लिए	
		कैन्टीन	स्वास्थ्य केन्द्र	स्थापन प्रकोष्ठ	
	अन्य कोई सुविधा (किन्हीं तीन को बताएँ	....	....	....	
2.22	प्राध्यापकों की गुणवत्ताः छात्र/प्राध्यापक अनुपात	>60 : 1	>40 : 1–60 : 1	<=40 : 1	
	प्राध्यापकों के मध्य एम.फिल डिग्री धारकों की प्रतिशतता	01–10	>10–50	>50	
	प्राध्यापकों के मध्य पी.एच.डी डिग्री धारकों की प्रतिशतता	01–05	>05–10	>10	
	जिन अध्यापकों ने गत 3 वर्षों के दौरान) निम्न में भाग लियाः				
	क) अभिमुख पाठ्यक्रम	01–20	>20–50	>50	
	ख) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम				
	ग) शीत/ग्रीष्म कालीन शिविर	01–20	>20–50	>50	
2.23	गत 3 वर्षों के मध्य किए गए				

	मूल्यांकन संबंधी प्रक्रियाएँ एवं सुधारः o ऐसे पाठ्यक्रमों की संख्या जिनके लिए अकादमिक लेखा परीक्षण संचालित किया गया है।	01–02	>02–05	>05	
	o उन पाठ्यक्रमों की सख्या जिनके प्रति समकक्षों द्वारा समीक्षा को संचालित किया गया।	01–02	>02–05	>05	
2.24	शोध प्रोन्नति एवं समर्थनः o शोध कार्य में सक्रिय रूप से लगे हुए प्राध्यापकों की संख्या	01–02	>05–02	>20	
	o शोध पर्यवेक्षकों के रूप में अनुमोदित प्राध्यापकों की प्रतिशतता	01–05	>05–20	>20	
	o महाविद्यालय से बाहर प्रतिष्ठित / अकादमिक / वैज्ञानिक निकायों में प्राध्यापकों की प्रतिशतता	01–02	>02–05	>05	
2.25	गत तीन वर्षों में शोध परिमाण एवं प्रकाशनः o प्रदान की गई एम. फिल डिग्रिया की संख्या ऐसे महाविद्यालयों में जिनमें <=5 स्नातकोत्तर विभाग है >=5 स्नातकोत्तर विभाग है	 01–10 01–20	 >10–20 >20–40	 >20 >40	
	गत तीन वर्षों में शोध परिमाण एवं प्रकाशनः o प्रदान की गई पीएच.डी डिग्रिया की संख्या जिन्न महाविद्यालयों में निम्नवत स्थिति है <=5 स्नातकोत्तर विभाग है	 01–05	 >05–10	 >10	
	>=5 स्नातकोत्तर विभाग है	01–10	>10–20	>20	

	o संदर्भित पत्रिकाओं में प्राध्यापकों द्वारा प्रकाशित शोध प्रपत्रों की संख्या				
	o प्रारम्भ की गई शोध योजनाएँ				
2.26	परामर्श संबंधीः गत तीन वर्षों में प्रजनित परामर्श द्वारा कुल संसाधनों की, समस्त प्राप्त कुल निधियन के समक्ष प्रतिशतता	01–02	>02–05	>05	
2.27	गत तीन वर्षों में विस्तारण गतिविधियाँः– o नवोन्मेषी / लाभकारी विस्तार पाठ्यक्रम संचालित हुये उनकी संख्या	01–02	>02–05	>05	
	o विस्तार गतिविधियों में रत प्राध्यापकों की संख्या	03–05	>05–20	>20	
	o विस्तार गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी	10–20	>50–100	>100	
2.28	गत तीन वर्षों की सहभागी गतिविधियॉः o गैर सरकारी संगठनों के साथ संचालित संयुक्त पाठ्यक्रमों की संख्या	01–05	>05–10	>10	
	o राष्ट्रीय स्तर के अकादमिक संस्थानों के साथ सहयोगी पाठ्यक्रमों की संख्या	01–05	>05–10	>10	
	o अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अकादमिक संस्थानों के साथ सहभागी गतिविधियॉ	01–05	>05–10	>10	
2.29	पुस्तकालय संसाधनः o प्रति छात्र पुस्तकों के शीर्षक की अद्यतन संख्या	01–03	>03–10	>10	
	o गत तीन वर्षों में कुल संग्रह की प्रतिशतता में पुस्तकालय में संवृद्ध की	01–03	>03–10	>10	

	गई पुस्तकों की संख्या				
2.30	आईसीटी आधारित अधिगम संसाधनों की अद्यतन स्थितिः छात्र कम्प्यूटर प्रतिशतता	>60 :1	>30 :1 >60 :1	<30 :1	
2.31	छात्रों की रूपरेखा(गत तीन वर्षों की औसत): o आवेदन कर्ता एवं दाखिला प्राप्त छात्रों में प्रतिशतता	>60	>20–60	05–20	
	o कुल छात्रों की संख्या के समक्ष छात्राओं की प्रतिशतता	01–10	>10–50	>50	
	o कुल छात्रों की संख्या के समक्ष अ.जा. के छात्रों की प्रतिशतता	01–10	>10–15	>15	
	o कुल छात्रों की संख्या के समक्ष अ.ज.जा. के छात्रों की प्रतिशतता	01–02	>02–05	>05	
	o कुल छात्रों की संख्या के समक्ष शा.वि. छात्रों की प्रतिशतता	01–05	>05–10	>10	
2.32	छात्रों की प्रगति (गत तीन वर्षों की औसत): o प्रथम प्रयास में ही स्नातक स्तर पर सफल हो रहे छात्रों की प्रतिशतता	30–50	>50–75	>75	
2.33	छात्र समर्थनः o गत तीन वर्षों में जिन छात्रों से साक्षात्कार किया गया उनमें से परिसर स्थित साक्षात्कारों द्वारा चयनित छात्रों की प्रतिशतता	10–20	>20–50	>50	
2.34	गत तीन वर्षों में अनुमोदित वार्षिक बजट की औसत प्रतिशतता	60–80	>80–90	>90	

2.35	अनुमोदित वार्षिक, गतवर्ष के बजट के समक्ष, प्रयुक्त वित्तीय संसाधनों की प्रतिशतता	05–10	>10–20	>20	
2.36	जिन प्राध्यापकों को अद्यतन प्रशासनिक अधिकार एवं दायित्व सोंपे गए हैं उनकी प्रतिशतता	05–10	>10–20	>20	
2.37	अन्य संस्थानों के शासी निकायों पर नियुक्त प्राध्यापकों की संख्या	01–02	>02–05	>05	
2.38	पाठ्यचर्या : प्रतिपुष्टि– जिनसे प्राप्त हुई	नियोक्ता	प्राध्यापक	छात्र	
	o प्रशिक्षण में कठिनाई वाले छात्रों के लिये संचालित जो आचार कार्यक्रम गत तीन वर्षों में किये गए उनकी संख्यां	01–02	>02–05	>05	
	o गत तीन वर्षों में अग्रवर्ती प्रशिक्षणार्थियों के लिये जो विशिष्ट पाठ्यक्रम गठित किये गए उनकी संख्या	01–02	>02–05	>05	
	o आधुनिक शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले प्राध्यापकों की संख्या	10–20	>20–50	>50	
2.39	छात्र गतिविधियॉ : गत तीन वर्षों में पाठ्यक्रमों में रत/भागीदार छात्रों की औसतन संख्याः o सांस्कृतिक एवं संबद्ध गतिविधियॉ	05–10	>10–20	>20	
	o सह–पाठ्यचर्या गतिविधियॉ	05–10	>10–20	>20	
	o समाज सेवा/विस्तार कार्य एवं राष्ट्रीय सेवायोजना से पृथक	10–50	>50–100	>100	

	अन्य गतिविधियॉ				
2.40	खेल कूद कार्यक्रमः गत तीन वर्षों में भाग लेने वाले छात्रों की संख्याः o अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर	01–05	>05–10	>10	
	o राष्ट्रीय स्तर पर	05–10	>10–20	>20	
	o क्षेत्रीय स्तर पर	10–20	>20–50	>50	

खण्ड–3: अतिरिक्त आँकड़े (स्वशासी महाविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत किये जाने हैं)

क्र.सं.	रूपरेखा / प्राचल	विवरण / विकल्प			कार्यालय द्वारा प्रयोग हेतु
3.1	स्वायत्ता स्वीकृत करने के बाद की अवधि	01	>01–10	>10	
3.2	जिस स्तर पर स्वायत्ता क्रियान्वित हुई है।	केवल स्नातक पूर्व	केवल स्नातकोत्तर	स्नातकपूर्व एवं स्नातकोत्तर–दोनों ही	
3.3	पाठ्यचर्चा समीक्षा / संशोधन	तीन वर्षों के पश्चात किसी समय पर	3 वर्षों में एक बार	वार्षिक रूप से	
3.4	नये पाठ्यक्रम प्रस्तावित करने में समय में विलम्ब	>2 वर्ष	1–2 वर्ष	<=एक वर्ष	
3.5	जिन विषयों में प्रश्न–भंडार (Question Bank) विकसित किये गए हैं, उनकी संख्या	01–02	>02–05	>05	
3.6	परीक्षाओं में सुधारः मूल्यांकन योजना	अंक	ग्रेड एवं सी. जी. पी. ए.	साख आधारित सी. जी. पी. ए.	
3.7	अन्तिम सत्र में अथवा निर्गम परीक्षा (Exit Exam) में निरन्तर आन्तरिक मूल्यांकन (Continuous Internal Evalution) को प्रतिशतता में दी गई वरीयता।	10–20	>20–40	>40	
3.8	कुल पाठ्यक्रमों के समक्ष, सी. आई. ई. युक्त पाठ्यक्रमों की प्रतिशतता	15–25	>25–50	>50	
3.9	अल्पकालिक योजना	वार्षिक	सत्रीय	त्रै–सत्रीय	
3.10	जिन प्रश्नपत्रों के स्वरूप में परिवर्तन प्रस्तावित किया गया है–उनकी प्रतिशतता	05–10	>10–50	>50	

प्रमाण पत्र

(महाविद्यालय द्वारा)

प्रमाणित किया जाता है किइस प्रस्ताव में उपलब्ध कराए गए आँकड़े एवं सूचना, मेरे संज्ञान एवं विश्वास अनुसार सत्य एवं सही हैं तथा उनके समर्थन में आवश्यक दस्तावेज इन प्रस्तावों से संलग्न कर दिये गए हैं। यह भी पुष्टि की जाती है कि यह महाविद्यालय यदि इस योजना के अंतर्गत चयनित हो जाता है, तो यूजीसी द्वारा सृजित दिशानिर्देशों का पालन करेगा जो सी. पी. ई./सी. ई. स्तर के संबंध में समय–समय पर बारहवीं योजना अवधि के दौरान जारी किए गए हैं।

(हस्ताक्षर–सील सहित)
महाविद्यालय के प्राचार्य

स्थानः

तिथिः

पृष्ठांकन
(संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा)

प्रमाणित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के अभिलेखों के अनुसार, जो आँकड़े एवं सूचना महाविद्यालय ने प्रस्ताव में दी है वह सत्य है अतः विश्वविद्यालय इस प्रस्ताव का समर्थन करता है तथा सी. पी. ई./सी.ई. स्तर के अंतर्गत चयनित होने की स्थिति में महाविद्यालय की प्रगति का सर्वेक्षण करेगा तथा यूजीसी द्वारा सृजित दिशानिर्देशों एवं नियम व निबन्धनों के अनुसार यथा संभव समस्त कार्रवाई करेगा।

(हस्ताक्षर–सील सहित)
कुलसचिव

स्थानः

तिथिः

अनुलग्नक–II

कार्य योजना एवं बजट

1.	महाविद्यालय का नाम एवं पता	
2.	प्रस्तावित गतिविधियाँ	वरीयता क्रम में प्रत्येक गतिविधि का शीर्षक सूचीबद्ध करें (प्रत्येक स्थिति में 5 तक सीमित हो–विवरण सहित हो–100 शब्दों में हो)
	क) अध्यापन (स्नातक पूर्व)	o o
	ख) अध्यापन (स्नातकोत्तर)	o o
	ग) शोध	o o
	घ) विस्तार	o o
	ड.) अन्य कोई (कृपया विशिष्ट रूप से बताएँ)	o o

3.	अनुदानों की प्रस्तावित उपयोगिता	अनावर्ती अनुदान (रूपये–लाखों में) (वरीयता क्रम में सूचीबद्ध करें–तथा अनुलग्नक बी–1 में विस्तार से दर्शायें)	आवर्ती अनुदान (रूपये–लाखों मे) (वरीयता क्रम में सूचीबद्ध करें–तथा अनुलग्नक बी–2 में विस्तार से बताएँ)
	क) अध्यापन सुविधाएँ (स्नातक पूर्व)		
	ख) अध्यापन सुविधाएँ (स्नातकोत्तर)		
	ग) शोध सुविधाएँ		
	घ) विस्तार सुविधाएँ		
	ड.) अन्य कोई गतिविधियाँ (कृपया विशिष्ट रूप से बताएँ)		
	कुलः (रूपये–लाखों में)		

4.	आशान्वित परिणाम/निर्गत	वार्षिक (केवल शीर्ष सूचीबद्ध करें, अनुलग्नक सी–I में	पाँच वर्षों के अन्त में (केवल शीर्षक सूचीबद्ध

		प्रदत्त विवरण दें)	करें अनुलग्नक सी–I अनुसार विवरण दें)
	क) अध्यापन/मूल्यांकन (स्नातक पूर्व)	प्रथम वर्षः द्वितीय वर्षः तृतीय वर्षः चतुर्थ वर्षः पांचवा वर्षः	
	ख) अध्यापन/मूल्यांकन (स्नातकोत्तर)	प्रथम वर्षः द्वितीय वर्षः तृतीय वर्षः चतुर्थ वर्षः पांचवा वर्षः	
	ग) शोध	प्रथम वर्षः द्वितीय वर्षः तृतीय वर्षः चतुर्थ वर्षः पांचवा वर्षः	
	घ) विस्तार	प्रथम वर्षः द्वितीय वर्षः तृतीय वर्षः चतुर्थ वर्षः पांचवा वर्षः	
	ड.) अन्य कोई कृपया विशिष्ट रूप से बताएँ)	प्रथम वर्षः द्वितीय वर्षः तृतीय वर्षः चतुर्थ वर्षः पांचवा वर्षः	

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्य योजनाएवं बजट को महाविद्यालय ने अपने प्रमुख पणधारियों के परामर्श से विशेष रूप से अध्यापन संकाय–यूजीसी बारहवीं योजना के सी. पी. ई./सी. ई. के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तावित किया है। महाविद्यालय एतद्द्वारा, अनुमोदित कार्य योजना की प्रतिबद्धता प्रदान करता है तथा यथा प्रस्तावित उत्कृष्टता उपलब्ध करने के लिए विचारस्थ रखे गए लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक कदम उठाने की प्रतिबद्धता प्रदान करता है।

प्राचार्य
(हस्ताक्षर–कार्यालय सील सहित)

स्थानः

तिथिः

अनुलग्नक–III

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

महाविद्यालय द्वारा सी. पी. ई./सी. ई. स्तर के अंतर्गत निष्पादन का निर्धारण करने हेतु विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

1. महाविद्यालय का नाम
2. अंतर्रापृष्ठीय बैठक की तिथि
3. विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के नाम
4. महाविद्यालय की पार्श्वभूमिका/रूप रेख
5. समिति द्वारा अवलोकन/सुझाव
6. समिति की अनुशंसा
7. महाविद्यालय की कार्य योजना (यदि इसे सी. पी. ई./सी. ई. के अंतर्गत अनुशंसित किया गया है)

प्रस्तावित गतिविधियाँ		वरीयता क्रम में 4–5 गतिविधियाँ
(क)	अध्यापन (स्नातक पूर्व):	
(ख)	अध्यापन (स्नातकोत्तर):	
(ग)	शोधः	
(घ)	विस्तारः	
(ड.)	अन्य काई (कृपया विशिष्ट रूप से बताएँ)	

8. प्रस्तावित गतिविधियों के लिए बजट (यदि सी.पी.ई./सी.ई. स्तर के लिए अनुशंसित है)

पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ–35 (अनावर्ती)		
क्र.सं.	बजट शीर्ष	राशि (रूपयों में)
1.	प्रयोगशाला–पदोन्नत करने के लिए	
2.	भाषा प्रयोगशाला उपकरण	
3.	अध्यापन सहायक उपकरण	
4.	पुस्तकालय स्वचलन	
5.	कंप्यूटर	
6.	पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ	
7.	इण्टरनेट संयोजन	
8.	कक्षाओं/गोष्ठि समणारों की पदोन्नति	
9.	कोई अन्य गतिविधियाँ (कृपया विशिष्ट रूप से दर्शायें)	
	(कुल रूपए लाखों में)	

सहायता अनुदान सामान्य 31 (आवर्ती)		
क्र.सं.	बजट शीर्ष	राशि (रूपयों में)
1.	प्रयोगशाला की उपभोज्य मदें	
2.	सॉफ़्टवेयर	
3.	इन्टरनेट सेवाएँ	
4.	उपकरणों का अनुरक्षण	
5.	प्राध्यापकों को अधिक ज्ञान सम्पन्न करना	
6.	अन्य कोई गतिविधियाँ (कृपया विशिष्ट रूप से बताएँ	
	कुलः (रूपए लाखों में)	
समग्र जोड़ः = ₹ ..... लाख (रूपए).....		

9. कार्य योजना के आशान्वित परिणाम/परिमाण

क्र. सं.	आशान्वित परिणाम/परिमाण	वार्षिक	पाँच वर्ष के अन्त में
(क)	अध्यापन (मूल्यांकन स्नातक पूर्व)	प्रथम वर्षः द्वितीय वर्षः तृतीय वर्षः चौथा वर्षः पाँचवा वर्ष	
(ख)	अध्यापन/मूल्यांकन (स्नातकोत्तर)	प्रथम वर्षः द्वितीय वर्षः तृतीय वर्षः चौथा वर्षः पाँचवा वर्ष	
(ग)	शोध	प्रथम वर्षः द्वितीय वर्षः तृतीय वर्षः चौथा वर्षः पाँचवा वर्ष	
(घ)	विस्तार	प्रथम वर्षः द्वितीय वर्षः तृतीय वर्षः चौथा वर्षः पाँचवा वर्ष	
(ड.)	अन्य कोई (कृपया विशिष्ट रूप से बताएँ)		

10. विजिंटिंग समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर

अनुलग्नक–IV

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली

वार्षिक प्रगति रिपोर्ट

(प्रत्येक सी. पी. ई./सी. ई. महाविद्यालय द्वारा वार्षिक रूप से यूजीसी को प्रस्तुत की जाए)

1. महाविद्यालय का नाम एवं पता:
2. महाविद्यालय के प्राचार्य का नाम:
3. प्रगति रिपोर्ट की अवधि:
4. वर्ष में क्रियान्वित गतिविधियाँ:
5. वर्ष के दौरान अनुदानों की उपयोगिता:
6. विशिष्ट परिणाम
7. क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयाँ, यदि कोई हैं,

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रगति रिपोर्ट में प्रस्तुत आँकड़ें/सूचना मेरे सर्वश्रेष्ठ संज्ञान एवं विश्वास से सत्य एवं सही हैं तथा जब भी यूजीसी द्वारा माँग की जाएगी, तो आवश्यक दस्तावेज यूजीसी को उपलब्ध कराये जाएँगे।

प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं महाविद्यालय की सील

स्थान:

तिथि:

अनुलग्नक–V

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

उपयोगिता प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कुल अनुदान राशि..... रू..... (रूपये.....) जिसे यूजीसी के पत्र संख्या..... दिनाँकः..... द्वारा जारी किया गया था, उसका उपयोग महाविद्यालय द्वारा कर लिया गया है, जैसा कि संलग्न विवरणिका में दिया गया है तथा यूजीसी द्वारा अपने पत्र संख्या..... दिनाँक..... में निर्धारित सभी शर्तों एवं निबन्धन के अनुसार किया गया है तथा महाविद्यालय ने समस्त शर्तों को पूरा कर दिया गया है तथा यह अनुदान उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसउद्देश्य के लिए उसे स्वीकृत किया गया था।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यूजीसी द्वारा दिये गए अनुदान में से जितनी स्थायी एवं अर्द्धस्थायी परिसम्पत्तियाँ सृजित/ग्रहीत हुई है– समग्र रूप से अथवा मुख्य रूप से– ऐसी परिसम्पत्तियों की सम्पत्ति सूचियाँ अद्यतन रखी जा रही हैं तथा जैसा कि संलग्न विवरणिका में दर्शाया गया है यह समस्त परिसम्पत्तियाँ न तो विक्रय की गई हैं, ना ही ऋण्ग्रस्त हैं, ना ही इनका उपयोग अन्य किसी उद्देश्य से किया गया है।

यदि किसी पड़ताल अथवा लेखा परीक्षण के परिणाम स्वरूप बाद में कोई अनियमितता सामने आती है तो महाविद्यालय उस आपत्ति युक्त राशि की प्रतिपूर्ति कर देगा।

लेखापरीक्षक के हसताक्षर, सील सहित

कॉलेज के प्राचार्य के हस्ताक्षर, सील सहित

नोटः इस उपयोगिता प्रमाणपत्र के साथ लेखों का एक लेखा परीक्षा किया गया विवरण संलग्न किया जाए जिसमें विभिन्न मदों पर किया गया विवरण हो।